राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/रीडर/2017/ 1814 दिनांक 24.7.17

प्रेषित :–

तहसीलदार चौहटन

विषय :– राजस्व वाद सं. 93/2017 अनवान रायसिंगाराम बनाम पूर्णाराम वगैरा में पारित निर्णय की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 14.07.2017 को पारित किया जाकर अन्तिम डिक्र जारी की गई। अतः उक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति सलंग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंग्न :– निर्णय व अन्तिम डिक्री की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत **सहायक कलक्टर चौहटन** **मुकाम** **चौहटन**

व इजलास ***श्री भागीरथराम, आर.ए.एस.***

अनवान वादी – 1.रायसिंगाराम पुत्र मानाराम
जाति जाट
निवासी पोशाल, तहसील चौहटन

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.पूर्णाराम 2.गोरधनराम 3.विरधाराम
4.नानगाराम पि.हरजीराम 5.पारू पत्नि
हरजीराम 6.गोसाईराम पुत्र टीकमाराम
7.चूनी देवी पत्नि टीकमाराम जाति जाट
निवासी पोशाल, तहसील चौहटन।
8.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – वादी वकील – **श्री ठाकराराम**
प्रतिवादीगण वकील –

वाद बाबत 88,53 RT Act.
मुकदमा नं. 93/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री ठाकराराम** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री** ....एड . मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर **ग्राम राणातली, तहसील तहसील चौहटन में खसरा नं. 589/528 रकबा 28.16 बीघा का आया हुआ है।** उक्त विवादित भूमि_सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है। लगातार शेष पृष्ट पर....... .... बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .... को अदा करे।

वसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 14-7-17........ को जारी की गई।

दस्तखत.............................
मुहर ओहदा ....

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

क्र.सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	रायसिंगाराम पुत्र मानाराम , कौम जाट सा.पोशाल खातेदार	राणातली	589 / 528	09.12	बा.दो.	0.48	गुलाबी
2	पूर्णाराम, गोरधनराम, विरधाराम, नानगाराम पि. हरजीराम, पारू पत्नि हरजीराम।	राणातली	589 / 528	09.12	बा.दो.	0.48	आसमानी
3	गोसाईराम पुत्र टीकमाराम, चूनी देवी पत्नि टीकमाराम, कौम जाट, सा.पोशाल	राणातली	589 / 528	09.12	बा.दो.	0.48	हरा

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।

(भागीरथराम)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 93/2017

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अनवान वादी – 1.रायसिंगाराम पुत्र मानाराम
जाति जाट
निवासी पोशाल, तहसील चौहटन

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.पूर्णाराम 2.गोरधनराम 3.विरधाराम
4.नानगाराम पि.हरजीराम 5.पारू पत्नि
हरजीराम 6.गोसाईराम पुत्र टीकमाराम
7.चूनी देवी पत्नि टीकमाराम जाति जाट
निवासी पोशाल, तहसील चौहटन।
8.तहसीलदार चौहटन

अन्तर्गत धारा 88,53 RT Act.

निर्णय

दिनांक :– 14.07.2017

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प चौहटन में पेश हुई। वादी वकील उपस्थित वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 7 की ओर से राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा स्वीकार किया गया। न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौहटन द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया। जो पत्रावली शामिल किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। न्यायहित में तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

अतः तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम **राणातली, तहसील तहसील चौहटन में खसरा नं. 589/528 रकबा 28.16 बीघा का आया हुआ है।** उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है।

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

क्र.सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	रायसिंगाराम पुत्र मानाराम , कौम जाट सा.पोशाल खातेदार	राणातली	589 / 528	09.12	बा.दो.	0.48	गुलाबी
2	पूर्णाराम, गोरधनराम, विरधाराम, नानगाराम पि. हरजीराम, पारू पत्नि हरजीराम।	राणातली	589 / 528	09.12	बा.दो.	0.48	आसमानी
3	गोसाईराम पुत्र टीकमाराम, चूनी देवी पत्नि टीकमाराम, कौम जाट, सा.पोशाल	राणातली	589 / 528	09.12	बा.दो.	0.48	हरा

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.07.17 को राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2017 को न्यायालय कैम्प चौहटन मे सुनाया गया।

(भागीरथराम)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

मौका फर्द विभाजन प्रस्ताव बमुकाम-राणासर.

राजस्व वाद 6.93/17

आज दिनांक 03/7/2017 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय आदेशो की पालना में राजस्व वाद 6.93/17 अलवाहरूप रायसिंगाराम बनाम पूर्णाराम वगैरा में जारी प्राथमिक डिक्री निर्णय दि० 20/6/17 खेत खसरा नम्बर 589/528 रकबा 28.16 बीघा मौजा राणासर हाल्ट हल्का फलसड गोजवालिया मैं मौके पर पहुँचा। मौके पर वादीगण उपस्थित मिले। उक्त खसरा नम्बर 589/528 को मौके देखा गया। खसरा नं. 589/528 में उत्तर से दक्षिण तक पश्चिम की तरफ वादीगण का कब्जा काश्त है।

वर्तमान जमाबंदी मौजा राणासर की सं० 6.95 निम्न प्रकार है:-

हरजीराम रायसिंगाराम पि० मानाराम गोधाईराम पुत्र पेमाराम चूनी पत्नि पेमाराम कौम जाट सा० पोशाल खालसा	589/528	28.16 बीघा	1.44

court ✓ 04/7/17

उपरोक्त खसरे का विभाजन हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन के राजस्व वाद 6.93/17 रायसिंगाराम बनाम पूर्णाराम वगैरा मालिक डिक्री दि० 20/6/17 अनुसार वादी प्रतिवादी सेड़ा पाडोलियान की उपस्थिति में मालिक न्यायालय आदेश "बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया।

1. रायसिंगाराम पुत्र मानाराम कौम जाट सा० पोशाल खालसा	589/528	9.12 बीघा	0.48	गुलाबी
2. पूर्णाराम गोरधनराम भिखाराम पुत्रान मानाराम पि० हरजीराम	589/528	9.12 बीघा	0.48	आसमानी
3. ~~पारु पत्नि हरजीराम गोधाईराम पुत्र पेमाराम चूनी देवी पत्नि पेमाराम कौम जाट सा० पोशाल~~	589/528	09.12 बीघा	0.48	— हरा

उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव संलग्न नक्शा करेगा गुलाबी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण एवं सेड़ा पाडोलियान के उप० में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन के प्राथमिक डिक्री में दिये गये निर्देशो की पालना मे तैयार किया गया प्रतिवादीगण द्वारा हस्ताक्षर करने से इन्कार किया तथा उप० वादीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। संलग्न नक्शा फर्द मौका का Ex Court अभिन्न अंग रहेगा।

रायसिंगाराम

03-07-17 प० भोजारिया

03/7/17 [illegible]

उत्तर

मौजा- रानातली (भोजारिया)
तह- चौहटन
पैमाना - 1 इंच = 80 गज
राजस्व प्रकरण 93/17

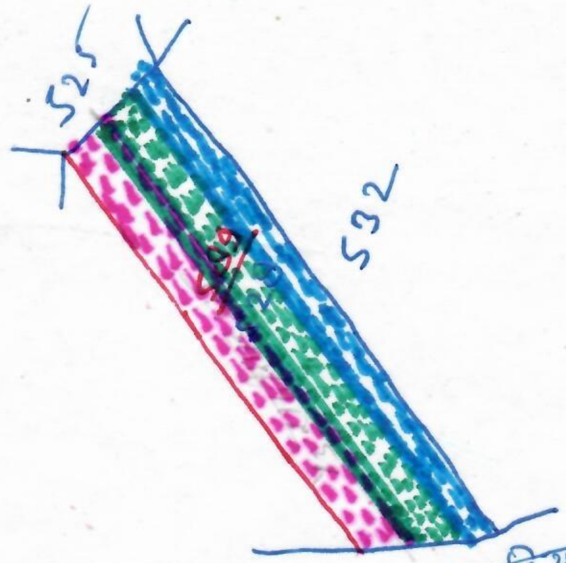

सी.ग्रा. बिजड़ियार

प्रमाणित प्रतिलिपि
राजकीय प्रयोजनार्थ
निःशुल्क जारी की गई
03-07-17
प. भोजारिया

(1) धुसिंगाराम पुत्र मगाराम जाट खेत शुमाली
(2) पुर्वाराम गोरधन खेत आथनाली
(3) गौराराम खेत दस्त

03-07-17
प. भोजारिया

03/07/17
IPC कानूनगो

Cor court

सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहटन

नि. धुसिंगाराम
प्रार्थी
गौरखाराम